उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-18/2024/2813/तीस-3-2024 (ई 1706090)

लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2024

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा संवर्ग में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) पदनाम से वेतन बैण्ड-2 तत्सदृश्य वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-7 रू0 44900-142400 में पद सृजित है।

2. उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़कर कतिपय अन्य राज्यों यथा राजस्थान आदि में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) का पद मोटर वाहन निरीक्षक पदनाम से विद्यमान है।

3. सम्यक विचारोपरान्त एतदद्वारा श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश परिवहन (प्राविधिक) सेवा संवर्ग में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-7 रू0 44900-142400 में ही रखते हुए, तात्कालिक प्रभाव से इस पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए, मोटर वाहन निरीक्षक किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुसार परिवहन (अधीनस्थ) प्राविधिक सेवा नियमावली, 1980 (यथा संशोधित) में समाहित कर लिया जाएगा।

एल0 वेंकटेश्वर लू

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

(2) सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

(3) कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

(5) परिवहन अनुभाग-1, 2 एवं 4, उ0प्र0 शासन।

(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in